न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-504RAAJodhpur2024-215RTA223 Deeparam Vs Rawatram etc

दीपाराम पुत्र श्री मालाराम, जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. रावतराम पुत्र श्री मालाराम, जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
2. आसाराम पुत्र श्री मालाराम जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
3. गेनारामपुत्र श्री मालाराम जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वादसंख्या 52/2021 रावतराम बनाम आसाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री करणसिंह, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 04अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 अनवान रावतराम बनाम आसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 नवंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम जेलू तहसील तिंवरी के खसरा नं0

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

653/1 रकबा 02.8975 हैक्टेयर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा वाद निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 25 नवंबर 2024 के जरिये स्वीकांर कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किये बिना तथा पत्रावली पर पूर्व से ही उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। तहसीलदार तिंवरी द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त अपीलांट को सूचित ही नहीं किया गया। तहसीलदार तिंवरी ने विभाजन प्रस्ताव अपीलांट के वर्तमान कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया है। अपीलांट की वर्तमान में ढाणी बनी हुई, उसी स्थान पर अपीलांट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण किया जा रहा है, किंतु रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट के मकान निर्माण के कार्य को रूकवा दिया तथा मारपीट की। इस संबंध में पुलिस थाना मथानिया में एफ.आई. आर भी हो चुकी है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ भी प्रस्तुत की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पक्षकारान् के कब्जे काश्त के विपरीत एवं विधि–विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांटस्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 नवंबर 2024 को निरस्त किया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह मामले मेंनियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए उस पर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार वाद निस्तारित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार तिंवरी द्वारा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त मौके की स्थिति का बखूबी ध्यान रखा गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट की वर्तमान में ढाणी बनी हुई है, वह भूमि अपीलांट के हिस्से में ही रखी गई है जो विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से ही स्पष्ट है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निराकरण करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.08.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार तिंवरी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक पक्षकार के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थिति स्वरूप अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलांट का उज्र है कि उसके मकान को अन्य पक्षकार के हिस्से में रख दिया गया है। इस संबंध में विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट का मकान उसके हक हिस्से में रखी गई भूमि रकबा 0.1618 हैक्टेयर में दर्शाया गया है, जिससे अपीलांट का उक्त उज्र समाप्त हो जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 अनवान रावतराम बनाम आसाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 नवंबर 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-504RAAJodhpur2024-215RTA223 Deeparam Vs Rawatram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
दीपाराम पुत्र श्री मालाराम, जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।	बनाम	1. रावतराम पुत्र श्री मालाराम, जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर। 2. आसाराम पुत्र श्री मालाराम जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। 3. गेनारामपुत्र श्री मालाराम जाति बेलदार, निवासी– जेलू, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वादसंख्या 52/2021 रावतराम बनाम आसाराम इत्यादि

यह अपील बतारीख 04 अप्रेल 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री करणसिंह मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 अनवान रावतराम बनाम आसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 नवंबर 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 04 अप्रेल 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर